

प्रारूप-6

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर



कार्यालय आदेश


निम्नांकित कार्मिक जो मूल पद (एसडीआई) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत रहे हैं, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.07.2020 के द्वारा दिनांक 31.07.2020 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जा चुका है, विभागीय जाँच पूर्ण होने पर प्रारूप-06 जारी किया जाता है ।

क्र. स.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	श्री प्रद्युम्न कुमार जैन	कार्यालय अति. बीईईओ-सीबीईओ आसपुर - डूंगरपुर	डूंगरपुर	06.07.1960	31.07.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित हैं ।




(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/से.नि./एसडीआई/2020

दिनांक:- 07-04-2022

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. संबंधित प्रधानाचार्य/नियंत्रण अधिकारी
5. संबंधित अभ्यर्थी
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर